

प्रेषक,

सन्तोष कुमार सक्सेना,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 1. आयुक्त,<br>खाद्य एवं रसद विभाग,<br>जवाहर भवन, लखनऊ।                       | 7. प्रबन्ध निदेशक,<br>यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल<br>कारपोरेशन लि0,<br>22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ। |
| 2. महाप्रबन्धक,<br>भारतीय खाद्य निगम,<br>विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।        | 8. प्रबन्ध निदेशक,<br>उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु<br>निगम लि0,<br>17, गोखले मार्ग, लखनऊ।     |
| 3. प्रबन्ध निदेशक,<br>यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, 32,<br>स्टेशन रोड, लखनऊ। | 9. अधिशासी निदेशक,<br>उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण<br>निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।                         |
| 4. समस्त जिलाधिकारी,<br>उत्तर प्रदेश।  | 10. प्रबन्ध निदेशक,<br>यू0पी0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0,<br>(पी0सी0यू0), लखनऊ                            |
| 5. समस्त सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक<br>उत्तर प्रदेश।                           | 11. शाखा प्रबन्धक,<br>एन0सी0सी0एफ0, लखनऊ।  |
| 6. निबन्धक,<br>सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।                                | 12. शाखा प्रबन्धक,<br>नैफेड, अलीगंज, लखनऊ।   |

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

विषय:- खरीद विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

खरीद विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ की जायेगी। प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद हेतु संलग्न समय-सारिणी इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि नियत तिथियों के अनुसार प्रत्येक जनपद में धान खरीद हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाये और गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर धान क्रय केन्द्रों का चयन 16 अगस्त, 2017 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधायें आदि धान क्रय हेतु समस्त पूर्व व्यवस्थायें दिनांक 15 सितम्बर, 2017 तक अवश्य पूर्ण करा ली जायें।

3- आगामी सत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचौलियों के माध्यम से धान की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें तथा बिचौलियों से साँठ-गाँठ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पूर्व ही चिन्हित कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4- चावल मिलों की कुटाई क्षमता एवं विगत वर्षों में मिल द्वारा किये गये कुटाई कार्य का समुचित

ऑकलन करते हुए खरीदे जाने वाले धान की कुटाई हेतु सम्बद्धीकरण की कार्य-योजना दिनांक 15 सितम्बर, 2017 तक पूर्ण कर ली जाये।

5- यदि किसी सम्भाग में स्थित मिल्ों की कुटाई क्षमता से अधिक धान खरीद अनुमानित है तथा सम्भाग के बाहर कुटाई किया जाना प्रस्तावित है तो वह इस सम्बन्ध में खाद्यायुक्त को प्रस्ताव प्रेषित कर पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे तथा समीपस्थ सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक से समन्वय कर धान की कुटाई के लिए समुचित प्रबन्ध एवं कार्य-योजना बनायेंगे।

6- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों के हित के लिए धान खरीद योजना का लाभ इस पर निर्भर है कि कृषकों से क्रय किये गये धान का भुगतान उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाये, कृषकों को त्वरित मूल्य भुगतान हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि स्थानीय स्तर पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाये तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मूल्य भुगतान की नियमित समीक्षा की जाये।

7- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कर लिये जायें।

8- ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक तथा ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग दिनांक 15 सितम्बर, 2017 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)  
संयुक्त सचिव।

संख्या:-02/2017/547(1)/29-4-2017, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (अनुश्रवण हेतु)।
- 6- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
- 8- तकनीकी सहायक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- खाद्य तथा रसद अनुभाग-3/5

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)  
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-02/2017/547/29-4-2017-5(5)/17, दिनांक 19 जुलाई, 2017 का संलग्नक-1 मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय वर्ष 2017-18 में खरीद की व्यवस्था सम्बन्धी समय-सारिणी।

क्र0	अपेक्षित कार्य	अनुमानित अवधि	अधिकारी/विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	5
1-	प्रभारी अधिकारी, धान खरीद की नियुक्ति	31 जुलाई, 2017 तक	जिलाधिकारी
2-	ई-उपार्जन से सम्बन्धित माइयूल-क्रय केन्द्र/मिलर/डिपो बैंक/निरीक्षण माइयूल को तैयार करना/विभागीय पोर्टल पर टेस्ट रन	31 जुलाई, 2017 तक	एन0आई0सी0
3-	मिलों का पंजीयन	31 अगस्त, 2017 तक	क्रय एजेन्सी, जि0खा0वि0 अ0, सं0खा0नि0
4-	पंजीयन का प्रचार-प्रसार- समाचार पत्रों/रेडियो/टेलीविजन	15 जुलाई, 2017 से	मण्डी/सूचना विभाग
5-	क्रय केन्द्रों का चयन	16 अगस्त, 2017 तक	जिलाधिकारी
6-	किसानों का पंजीयन- (खाता नं0 अंकित खतौनी/पहचान प्रमाण-पत्र यथासम्भव आधार कार्ड एवं खसरा के आधार पर) कृषक द्वारा स्वयं/जनसूचना केन्द्र, इन्टरनेट कैफे के द्वारा	15 सितम्बर, 2017 तक	जिलाधिकारी/ सं0खा0नि0/क्रय एजेन्सी
7-	परिवहन दरों का जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0 द्वारा निर्धारण	31 अगस्त, 2017 तक	जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0
8-	क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायें:- क्रय केन्द्रों की आवश्यकताओं का जिलेवार आंकलन जैसे- • धन • बोरे • स्टाफ • हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति	15 सितम्बर, 2017 तक	क्रय एजेन्सी / मण्डी समिति
9-	ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता	31 अगस्त, 2017 तक	सम्बन्धित क्रय एजेन्सी
10-	क्रय केन्द्रों की व्यवस्थायें:- • धन की व्यवस्था	15 सितम्बर, 2017 तक	क्रय एजेन्सी/ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भुगतान की प्रक्रिया</li> <li>• खाली बोरे</li> <li>• स्टाफ</li> <li>• श्रमिक/ठेकेदार</li> <li>• किसानों की सुख-सुविधा हेतु तखत व कुर्सी</li> <li>• लोटा तथा पशुओं से सम्बन्धित अन्य सुविधायें</li> <li>• नमीमापक यंत्र</li> <li>• विनोडिंग फैन</li> <li>• ड्रायर/पावर ड्रायर</li> <li>• छलना</li> <li>• क्रय केन्द्रों का चावल मिलों से सम्बद्धीकरण</li> </ul>		मण्डी समिति
11-	चावल मिलों से अनुबन्ध निष्पादन/बैंक गारण्टी इत्यादि	15 सितम्बर, 2017 तक	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/ क्रय एजेन्सी
12-	कांटा बाँट का सत्यापन	15 सितम्बर, 2017 तक	क्रय एजेन्सी/ बाँट माप विभाग
13-	ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग	15 सितम्बर, 2017 तक	क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय व मण्डल स्तरीय अधिकारी
14-	चावल मिलों का संग्रह डिपो से सम्बद्धीकरण	15 सितम्बर, 2017 तक	क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0/ सं0खा0नि0
15-	क्रय केन्द्र प्रभारियों की धान क्रय आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग/कार्यशाला	15 सितम्बर, 2017 तक	जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, जि0खा0वि0अ0, सं0ले0अ0, बाँट माप अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारिता, सहायक श्रमायुक्त, सं0खा0नि0, क्रय एजेन्सी, भा0खा0नि0, एन0आई0सी0
16-	क्रय केन्द्रों का क्रियान्वयन व भौतिक रूप से क्रियाशीलता	25 सितम्बर, 2017 तक	क्रय एजेन्सी/जिलाधिकारी

(सन्तोष कुमार सक्सेना)  
संयुक्त सचिव।